are improving our own test and this year we will conduct a national survey in the month of September. This National Assessment Survey will be a widespread survey with much larger sample, and with this much larger real sampling test, we will present the results to all. Since Anu Agaji is very much interested in education, as everybody is, what she said is that the teacher training is an important thing and that DIET and SCERT mechanisms have so many vacancies. This time, we have linked grants to States to filling vacancies in DIET and they must conduct teacher training; and, in-service training should not be a formality but must be a meaningful discourse. Therefore, we have tied up funds and we are giving bonus to the States which will do the best teacher training and in-service training because that is way we can take action.

Cities selected under Housing for All in Himachal Pradesh

*124. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cities/towns in Himachal Pradesh which have been selected for development of dwelling units under "Housing for All" scheme;

(b) the eligibility criterion laid down by Government to provide houses under the scheme; and

(c) whether any new features have been included in the scheme and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Total 54 Statutory towns/cities of Himachal Pradesh have been included under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY (U)] as proposed by the State Government.

(b) The eligibility criteria under PMAY (U) are as below:–

(i) A beneficiary family will comprise of husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. The beneficiary family should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of his/her family in any part of India.

(ii) An adult earning member (irrespective of marital status) can be treated as a separate household, provided that,

1. he/she does not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) in his/her name in any part of India.

2. in the case of a married couple, either of the spouses or both together in joint ownership will be eligible for a single house, subject to income eligibility of the household under the scheme.

Selection/identification of beneficiaries for the projects taken up under PMAY(U) is in the purview of State/UT Governments.

(c) Under PMAY (U), GoI has launched a new Credit Linked Subsidy scheme to provide interest subsidy for housing loans to eligible beneficiaries belonging to Middle Income Group (CLSS for MIG). The scheme is initially for a period of one-year w.e.f. 01.01.2017.

The scheme covers two income segments in the MIG *viz.* annual household income between ₹ 6,00,001 to ₹ 12,00,000 (MIG-I) and annual household income between ₹ 12,00,001 to ₹ 18,00,000 (MIG-II). The interest subsidy under the new scheme is available to beneficiaries for loan amounts upto ₹ 9,00,000/- and ₹ 12,00,000/ respectively for two categories. The interest subsidy is at the rate of 4% and 3% on the principal amount respectively. Additional housing loans beyond ₹ 9,00,000/- and ₹ 12,00,000/-, if any, is not subsidized.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, इन्होंने अपने जवाब में बताया है कि हिमाचल प्रदेश के 54 towns/cities को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा दिया जा रहा है? क्या इन towns/cities को differentiate भी किया गया है, क्योंकि जो Cost of construtions है, वह कई जगहों पर ज्यादा है, कई जगहों पर कम है? विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, जो रो से जुड़ी हुई नहीं हैं, क्या उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया है या सबके लिए एक ही रखा गया है?

रावइन्द्रजीत सिंहः चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के 4041 टाउन्स हैं, जो statutory towns कहलाए जाते हैं। सारे के सारे towns हम तब select करते हैं, जब वहां की State Government हमें यह तजवीज करती है कि हमारे इन towns को आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ले लीजिए। जब हम उन towns को ले लेते हैं, तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिम्मेदारी बन जाती है कि किस-किस जगह पर, लोगों को इमदाद करने के

लिए और State Government को complement करने के लिए, हम पैसा किस तौर पर तजवीज करें। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 verticals हैं, जो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। पहला vertical है - *in-situ* slum redevelopment. जहां slum होता है, उसे redevelop करने के लिए अगर State Government आगे आती है और Vertical घर बनाने की सोचती है, उसमें जो बकाया area रह जाता है, वह उनके जिम्मे हो जाता है, ताकि उसे वे redevelop करके पार्क वगैरह बना सकें। लेकिन जो भी slums के अंदर राज्य सरकार घर बनाएगी, उनमें प्रत्येक घर हेतु हम भारत सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए तजवीज करेंगे। दूसरा vertical है - credit-linked subsidy scheme. यह स्कीम इस किस्म की है कि बैंकों के माध्यम से उन्हें पैसा मिलता है, जिन लोगों के पास पक्का मकान न हो। इसके अंदर तीन-चार categories हैं। उनमें एक है - economically-weaker sections - जिसमें 3,00,000 रुपए तक की आय वाले आते हैं। दूसरी category है - Lower-Income Group वालों की, जिसमें 6,00,000 रुपए तक की आय वाले आते हैं। हाल ही में, सरकार ने एक नई स्कीम introduce की है - Middle Income Group No. 1, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आय वाले आते हैं और Middle-Income Group No.2, जिसमें 18 लाख रुपए तक की आय वाले लोग शामिल हैं। उन लोगों के लिए interest subsidy subveation, यानि उनके लोन एकाउंट में 3 परसेंट, 4 परसेंट और 6.5 परसेंट तक सरकार interest directly बैंक को दे देती है, ताकि उन लोगों पर interest की मार थोड़ी कम पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का तीसरा vertical है - affordable housing through partnership - यानि कोई बड़ा area लेकर, भले ही वह प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर वे किसी बड़े area को develop करना चाहते हैं, कम-से-कम 250 घर जिस development के अंडर आते हैं, उनमें 35 फीसदी यदि economically weaker section के लिए प्रावधान वह व्यक्ति, कॉरपोरेशन या सरकार की एजेंसी करती है, तभी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,50,000 रुपए, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Go ahead. Please continue.

राव इन्द्रजीत सिंहः मैं जवाब पूरा कर देता हूं, सर। बस, एक ही पाइंट और रह गया है। Finally, इसमें चौथा vertical है- beneficiary-led construction है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपने घर की मरम्मत करना चाहता है या एक कमरा और जोड़ना चाहता है, उसे भारत सरकार की तरफ से 1,50,000 रुपए फी घर मिलने की योजना है। इसमें कोई differentiation नहीं है। यदि सरकार अपनी तरफ से तजवीज करती है कि इस शहर को तुम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ले लो, तभी उसे हम लेते हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः महोदय, मंत्री जी ने चार categories यहां बताईं, लेकिन जब गरीब लोग बैंकों में जाते हैं तो उन्हें इतनी ज्यादा formalities बता दी जाती हैं, जिससे वे पैसा ले ही नहीं पाते। उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह स्कीम जिस आशय से बनाई गई है, सरकार की योजना है कि हर बेघर को घर देना है, लेकिन इसमें एक आदमी को जितनी formalities पूरी करनी पड़ती है, फिर 1,00,000 रुपए में कहीं घर नहीं बनता। इतनी राशि में आप घर नहीं बना सकते। बड़े आदमियों की बात यदि न करें, एक गरीब के लिए 1,00,000 रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर material की cost बढ़ती जा रही है। जब उसे बैंक में जाना पड़ता है, वहां अनेक formalities पूरी करने में बहुत जद्दोज़हद करनी पड़ती है, harass होना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या

करने जा रहे हैं, गरीबों की सहूलियत के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे सामने सारी बातें आनी चाहिए, यही मैं जानना चाहती हूं।

राव इन्द्रजीत सिंहः हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि पूरा घर भारत सरकार के पैसे से बनाकर देंगे। हम State Government के efforts को supplement करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, कुछ पैसा तजवीज करते हैं, 4 verticals के अंतर्गत, जो मैंने आपको बताए हैं। मैं आपके माध्यम से मैडम को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले की सरकार के दौरान Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) हुआ करता था, जो वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक, तकरीबन 10 साल के लिए चला था। वर्ष 2015 में "प्रधानमंत्री आवास योजना" शुरू हो गई। बैंकों को हमने जो हिदायत दी है, वह स्टेट गवर्नमेंट्स की इमदाद के लिए दी है और उसका फायदा हर पहलू के ऊपर हो रहा है। मैं इसका ब्यौरा देता हूँ कि JNNURM के 10 सालों के दौरान जो काम हुआ है और हमारे दो साल के दौरान जो काम हुआ है, उसके अंदर कितना अंतर है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर JNNURM के तहत जो सिटीज़ कवर की गई थीं, उनकी संख्या 939 थी, जो हमारे दो साल की अवधि के भीतर बढ़कर 2,441 हो गई है। JNNURM के तहत 1,507 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए थे और अब ये 4,800 के करीब हो गए हैं। उन 10 सालों के अंदर हाउसिंग के तहत करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो इन दो सालों के भीतर 1,11,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। I can go on and on. मैडम, हम अपनी तरफ से इस स्कीम को कामयाब करने का प्रयास कर रहे हैं, स्टेट्स को इमदाद करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें काफी कामयाबी मिली है। अगर कोई सुझाव आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है - हम तो आपकी भी बात मान लेते, लेकिन बीच में कायदा आ जाता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही सुझाव आता है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः मैं बैंक्स के बारे में भी बात कर रही थी। ...**(व्यवधान)**...

राव इन्द्रजीत सिंहः हमने बैंकों को भी हिदायत दे दी है और दोबारा उस चीज़ को reiterate कर दिया जाएगा कि आने वाले समय में अगर कहीं दिक्कत हो, तो उस दिक्कत को हल करके आप लोन देने का प्रयास कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Shri Ajay Sancheti, but please remember, this is a question specifically on Himachal Pradesh.

SHRI AJAY SANCHETI: Sir, I am talking about 'Housing for All'.

MR. CHAIRMAN: No, no. This is not the question. ...*(Interruptions)*...

SHRI AJAY SANCHETI: Sir, it relates to Himachal also. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let us stick to the question so that we can take up more subjects. ...*(Interruptions)*...

SHRI AJAY SANCHETI: Sir, I have a specific question. Projects under 'Housing for All' are being constructed at two places. एक तो यह सरकारी जमीन पर बनता है और

दूसरा प्राइवेट लैंड पर बनता है। लेकिन, State Government, local corporations या local authorities, जो शहर की होती हैं और भारत सरकार, इन तीनों के बीच गाइडलाइंस में coordination नहीं होने से जितनी — क्योंकि सभी चीज़ें सरकारी जमीनों पर नहीं बन पाती हैं, इसलिए कई लोग, जिनकी अपनी जगह है, उस पर वे बनाना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच coordination नहीं होने से साल-साल, दो-दो साल तक उनका approval नहीं हो पाता और वहाँ काम नहीं हो पाता। इसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Don't you need a wider discussion on this! This is not a subject which related to the question. रेवती रमन सिंह जी, आप इस विषय पर सवाल पूछिए।

श्री रेवती रमन सिंहः सर, यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि इसको केवल हिमाचल प्रदेश तक बाँधकर नहीं रखा जा सकता।

श्री सभापतिः सवाल हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।

श्री रेवती रमन सिंहः नहीं, मान्यवर।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं। रेवती रमन सिंह जी, सवाल ही उस पर है।

श्री रेवती रमन सिंहः सरकार की यह स्कीम है कि वर्ष 2022 तक ये सबको घर दे देंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने बेघर लोग ग्रामीण इलाके में हैं और शहरी इलाके में बिना घर के कितने लोग हैं?

राव इन्द्रजीत सिंहः चेयरमैन साहब, सभी को घर देने की बात नहीं है, बल्कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनके लिए यह प्रोग्राम बनाया गया है। यह प्रोग्राम दो विभागों के अंदर बाँटा गया है। जो रूरल एरियाज़ हैं, उनके लिए अलग मंत्रालय है। अगर उसको ऐड्रेस किया जाए, तो रूरल वाला ब्यौरा रूरल मंत्रालय वाले दे सकते हैं। ये वाला अर्बन वालों के लिए है। मैं अर्बन वालों के लिए बता देना चाहता हूं कि अभी तक अर्बन घरों की डिमांड invalidated आई है, जो उन्होंने कॉमन सर्विसेज़ सेंटर्स के ऊपर दर्ज कराई है, जो लोकल बॉडीज़ की वेबसाइट्स के माध्यम से दर्ज हुई हैं या जो हमारे मंत्रालय, MoHUA की वेबसाइट के ऊपर दर्ज कराई गई हैं। कुल मिलाकर 144 लाख लोगों ने माँग की है कि हमको पक्का घर दिलवाया जाए। अब 144 लाख लोगों ने माँग तो कर दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वे उन्हें validate करके दें। जब ये validate हो जाएँगी, तो मैं समझता हूं कि यह संख्या घटकर 1 करोड़ 20 लाख तक आ जाएगी।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः सर, अगर इस तरह देखा जाए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: On this question only.

SHRI CHUNIBHAI KANJIBHAI GOHEL: Sir, I will speak on this question only. सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोई वीकर सैक्शन के लोग सब साथ मिलकर, 25, 50, 100 लोग साथ मिलकर कोई ऐसी जमीन ले लें और वहां पर यह जो सरकार

की स्कीम है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है और दूसरी जो हाउसिंग पार्टनरशिप स्कीम है, उस स्कीम के तहत उनको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में क्या भारत सरकार राहत दे सकती है?

राव इन्द्रजीत सिंहः चेयरमैन साहब, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि लैंड और कॉलोनाइजेशन स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। स्टेट की इमदाद करने के लिए ये चार वर्टिकल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत किए गए हैं। जो स्टेट चाहती है जिसको देना, अगर वह हमको तजबीज करती है कि इस किस्म के शहर के अंदर हम यह स्कीम लागू करना चाहते हैं CLSS वाली या *in situ* वाली या बेनिफिशियरी-लेड वाली कोई भी स्कीम अगर स्टेट चाहे वह एक्सटेंड उस एरिया को कर सकती है और हमारी मंजूरी ले सकती है।

Strengthening of digital transmitters in border areas

*125.SHRIMATI AMBIKA SONI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to strengthen digital transmitters for broadcast in border areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any action is being taken for cracking down on broadcast of unauthorised channels especially in border areas; and

(d) the steps taken by Government to make contents of AIR broadcasts interesting, entertaining and useful to the listeners?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATOHRE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes, Sir. Prasar Bharati has informed that as far as Doordarshan is concerned as part of Eleventh and Twelfth Plan Schemes, 11 Digital High Power TV Transmitters (HPTs) in border areas have been approved and are at various stages of implementation. The expected time for completion is about two years.

Transmission of unpermitted satellite channels is a violation of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and there are adequate provisions in the Act to curb